COURSE NAME –M.Ed IIIrd SEMESTER
SUBJECT NAME = ELEMENTARY EDUCATION FOR DIFFERENTLY ABLED (SC-1)

Principle & issues of inclusive education
(समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और मुद्दे)

समावेशी शिक्षा का सिद्धांत (Principle of inclusive education)

समावेशित शिक्षा का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त समावेशित शिक्षा का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
ii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग में सभी कार्यकर्ताओं की साझेदारी।
iii. समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।
iv. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी रखना।
v. प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे, चयन करे व जिम्मेदारी ले। दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अर्न्तक्रिया करे व शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक, आंतरिक व अंतैयक्तिव गतिविधियों में भाग ले।

समावेशित शिक्षा के मुद्दे (Issues of inclusive education)

अतः इस खण्ड में हम समावेशित शिक्षा में कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा करेंगे, जो है:-

- समाज से संबंधित मुद्दे
- वित्तिय संबंधी मुद्दे
- शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे
- उपलब्धता एवं सुगम्यता संबंधी मुद्दे
- अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे
- शोध से संबंधित मुद्दे

Concept,principles & objectives of special education

(विशेष शिक्षा की अवधारणा,सिद्धांत एवं उद्द्येश्य)

विशेष शिक्षा की अवधारणा (Concept of special education)

विशिष्ट शिक्षा (Special Education) शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक और समाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक (Children with special needs) भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते। अत: इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए, विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अत: कहा जा सकता है कि "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।" अत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा की विशिष्ट शिक्षा कहते हैं।

विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध विशिष्ट बालकों के शिक्षा एवं उनके समस्याओं से है। इस तरह कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बालकों के शिक्षा से संबंध समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ शिक्षाशास्त्रियों द्वारा विशिष्ट शिक्षा की दी गई परिभाषाओं को इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं-

किर्क के अनुसार (1962):- " **'विशिष्ट शिक्षा'** शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता।"

हल्लहन और कॉफमैन के अनुसार:- "विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किये गये साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।"

विशेष शिक्षा के सिद्धांत (Principle of special education)

विशिष्ट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है:-

i. **कोई निरस्त नहीं (No one is Rejected)** :- शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को नि:शुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय के व्यवस्था में नहीं है।

ii. **व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा**:- प्रत्येक विशिष्ट बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएँ विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए।

iii. **अविभेदी शिक्षा**:- ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। इसके पश्चात् सभी छात्रों को उसके विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

iv. **वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम:**- जिन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाना चाहिए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयुक्त किया जाता है।

v. **विशिष्ट प्रक्रिया (Special Process)**:- विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्षा-कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं।

vi. **नियंत्रित वातावरण**:- जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा कक्ष में साथ-साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा विकलांग बालकों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण होना चाहिए।

vii. **माता-पिता का सहयोग**:- यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता-पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रूचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

viii. **समुदाय की भागीदारी**:- विशिष्ट शिक्षा में समुदाय के व्यक्तियों की भागादारी होने से यह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें समुदाय के व्यक्ति जितना अधिक भागीदारी लेंगें विशिष्ट बालक को समुदाय में समायोजन करने में उतनी ही आसानी होगी।

ix. **प्रेरणा का सिद्धान्त**:- सामान्यत: बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वे उस पाठ को वे जन्दी एवं आसानी से सीख लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए की इन बालकों को समय-समय पर अभिप्रेरित करने रहें।

विशेष शिक्षा के उद्देश्य (Special education objectives)

विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रीय सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्वतः ही एक लक्ष्य का निर्धारण करती हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक हो जाता हैं अन्यथा तूफान में बिन पतवार की नाव की भांति अथाह समुद्र में मात्र लहरों के थपेड़े खाने जैसा ही होगा। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य नियमित शिक्षा के उद्देश्यों- बालकों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्रचना, नागरिक विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास आदि, से कदापि भिन्न नहीं हैं परन्तु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के चलते थोड़े व्यापक जरूर हो जाते हैं(एम. दास, 2007)। विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को निम्नवत संकलित किया जा सकता है-

क. विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन (Identification, diagnosis and assessment of special child) करना
ख. विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना (Guidance and counselling of special child)
ग. शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention) करना
घ. शैक्षिक हस्तक्षेप (Educational Intervention)
ङ. अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक (Guardian and community awareness) करना
च. पुनर्वास (Rehabilitation) करना